न्यायालय : मुंसिफ प्रथम , मधुबनी
Title Suit-04/2022
CIS-48/2022

Date		Remarks
17.08.2023	उभय पक्ष वकालतन उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से अंदर आदेश 06 नियम 17 C.P.C. के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 19-07-2023 और वादी के प्रतिउत्तर दिनांक 02-08-2023 पर उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख आज आदेश हेतु निश्चित है। अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी ने यह आवेदन इस आशय का दिया है की गलती और धोखा से बयान तहरीरी में चंद आमुरात दर्ज होना छूट गया है, जो मुकदमा के विवादित जमीन के स्पष्टीकरण हेतु बयान तहरीरी में दर्ज होना आवश्यक है। प्रतिवादी बयान तहरीरी के पारा नं०- 35 के अंत में चंद आमूरात जोड़ना चाहते है। जो निम्न है :- "रिभिजनल सर्वे में पुराना खेसरा 1875 रकवा 10½ धुर और पुराना खेसरा 1876 रकवा 07 धुर और पुराना खेसरा-1874 रकवा 9½ धुर से नया खेसरा नं०- 4014 रकवा 6 डिसमल याने 1 कठ्टा 7 धुर का रिभिजनल सर्वे खतियान भुल्ला यादव पेदर प्रतिवादी के नाम से बना है। नया खेसरा 4013 रकवा 6 डिसमल पुराना खेसरा नं०- 1876 रकवा 7 धुर और पुराना खेसरा नं०- 1877 के रकवा से बना है जिसका रिभिजनल सर्वे खतियान वादी के परिवार के नाम से बना है। " वादी प्रतिवादी के आवेदन का विरोध करते हुए कहते है की प्रतिवादी ने जिस तरीके और जिस आधार पर आवेदन दाखिल किया है, वो पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी को इस कदर आवेदन देने का कोई हक़ नहीं है। प्रतिवादी का आवेदन अस्पष्ट है। प्रतिवादी मरम्मत के मार्फ़त नया तथ्य लाना चाहते है, जिससे मुकदमा की प्रकृति पूर्णतः बदल जाती है। वादीगण की जमीन का यदि प्रतिवादी कोई नया खतियान सर्वे अमला को मेल और दाम में लाकर बनवा लिए हो तो उसकी कोई पाबन्दी वादीगण को कभी नहीं हुए और न हो सकती है। अगर प्रतिवादी का वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है तो वादी को भी अपने अर्जीदावी में सुधार करने का मौका दिया जाना आवश्यक और लाजमी है। प्रतिवादी के आवेदन में कोई बल नहीं है। इसे ख़ारिज किया जाय। उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चूका है। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद अभी वाद मूल के गठन हेतु निर्धारित है। यह आवेदन प्रतिवादी द्वारा आदेश 06 नियम 17 C.P.C. के अंतर्गत बयान तहरीरी में संशोधन करने हेतु लाया गया है। प्रतिवादी बयान तहरीरी के पारा नं०-35 के अंत में कुछ आमुरात दर्ज करना चाहते है और कहते है की उक्त आमुरात विवादित जमीन के स्पष्टीकरण हेतु बयान तहरीरी में दर्ज होना आवश्यक है। वादी विरोध करते है। संशोधन साधारण प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इस वाद के पूर्ण रूप से न्याय-निर्णयन और उभय पक्षों के बीच वाद का पूर्ण रूप से निष्पादन हेतु यह संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूँकि प्रतिवादी द्वारा यह आवेदन काफी बिलम्ब से दाखिल किया गया है। ऐसे में प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 19-07-2023 मो०- 300/- रु० के खर्च पर स्वीकृत किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है की कार्यालय लिपिक के सहयोग से एक सप्ताह के अंदर बयान तहरीरी में संशोधन कर न्यायालय को सूचित करे। दिनांक 05-09-2023 वास्ते वाद मूल का गठन हेतु। **लेखापित** **ह o/-** **मुंसिफ प्रथम**	

न्यायालय : मुंसिफ प्रथम , मधुबनी

Title Suit-04/2022

CIS-48/2022